



सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय /
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून /
Regional Office, Dehradun



25 सुभाष रोड, देहरादून-248001/ 25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001

दूरभाष/ PHONE-0135-2650809, ई-मेल/ E-mail-moef.ddn@gov.in

पत्र सं० 8 बी/यू.सी.पी./06/124/2021/एफ.सी.

दिनांक: As per E-sign

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,

उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय: जनपद- उत्तरकाशी में विकासखण्ड चिन्यालीसौंड के अंतर्गत चिन्यालीसौंड-जोगथ मोटर मार्ग से पुजारगांव भडेश्वर मंदिर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.4385 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal No. FP/UK/ROAD/40975/2019).

सन्दर्भ: कार्यालय- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक 2606/12-1: देहरादून: दिनांक 29.04.2025 (received online on 09.06.2025).

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 13.07.2023 द्वारा राज्य सरकार से कुछ सूचनायें चाही गई थी जिसका प्रतिउत्तर संदर्भित पत्र द्वारा प्रेषित किया गया है जिसमें कुछ त्रुटियाँ पाई गई हैं। राज्य सरकार निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक सूचनायें प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके:-

1. As per the KML file of the road, the beneficiary village appears to be located only 60 to 250 meters away from the existing road. Therefore, the DFO shall inspect the area and submit status report of necessity of road.
2. No alternative routes have been looked out by the State Government. So, the User Agency shall look out alternative alignment of road and submit the same with KML file.
3. As per DDSS analysis, the proposed diversion area becomes 1.19 ha instead of 1.4385 ha. It shall be rectified.
4. SIR of DFO does not contains proposal details. So, a fresh SIR of DFO in revised format shall be submitted.
5. The CA scheme is calculated as per old rate. A revised CA scheme as per current rate is required to be submitted.

उपरोक्त के क्रम में जवाब प्राप्ति के उपरांत ही प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

भवदीया,

(नीलिमा शाह, भा०व०से०)

सहायक महानिरीक्षक वन (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:- प्रमुख सचिव (वन) उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।